

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/ 234

दिनांक :- 19.10.2023

राजस्व वाद सं. 296 /2023


GCMS No. 2023/ 494

उनवान प्रकरण :- रघुवीरसिंह बनाम तहसीलदार

-: आदेश:-

वादी/पार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का पलाडा व भू.अ.नि. मण्डावरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिडियास	83	रघुवीरसिंह पुत्र जससिंह हिस्सा 1999/66942 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	रघुवीरसिंह पुत्र जसवंतसिंह हिस्सा 1999/66942 जाति राजपूत सा. देह खातेदार



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामनसिटी (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 235-236

दिनांक :- 19.10.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी रघुवीरसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत सा. सिडियास तह.कुचामन को सूचनार्थ


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामनसिटी (नागौर)

